// कार्यालय छावनी परिषद पचमढ़ी //

<u>छावनी अधिनियम 2006 की धारा 195 की कण्डिका सी के अन्तर्गत सूचना</u>

क्र. 55/वाटर सप्लाई/213

दिनॉक 07 मई'2018.

छावनी परिषद उपयंत्री/प्लम्बर द्वारा अधोहस्ताक्षरकर्ता को ऐसी सूचना प्राप्त हुई है, कि छावनी मे जो जल कनेक्शन प्रदान किये गये है, उसमे अधिकांश व्यक्ति द्वारा सीधे ही टुल्लू पम्प/मोटर लगाकर उपयोग कर रहे है, जो कि कानूनन गलत है और जिसके परिणामस्वरूप आस –पास रहने वाले अन्य लोगो को पर्याप्त पानी नही मिल पा रहा है। पर्याप्त पानी न मिलने से उन्हे कठिनाईओ का सामना करना पडता है।

अतः छावनी अधिनियम 2006 की धारा 195 की कण्डिका सी के तहत मैं मुख्य अधिशासी अधिकारी पचमढ़ी यह सूचना प्रकाशित करता हूँ, कि वे सभी व्यक्ति जो छावनी परिषद द्वारा दिये गये नल कनेक्शन मे टुल्लू पम्प/मोटर लगाते है, वे तुरन्त प्रभाव से टुल्लू पम्प/मोटर छावनी परिषद द्वारा दिये गये नल कनेक्शन मे न लगाये। यदि ऐसा होता पाया गया तो छावनी परिषद मे भवन मे दिया गया जल कनेक्शन आपके हर्जे – खर्चे पर बन्द कर दिया जावेगा साथ ही लगा हुआ टुल्लू पम्प/मोटर जप्त कर लिया जावेगा। इसके साथ ही छावनी अधिनियम 2006 की धारा 195 की कण्डिका (ई) के तहत कानूनी कार्यवाही की जावेगी।

सत्यम मोहन भा.र.स.से.
मुख्य अधिशासी अधिकारी,
छावनी परिषद, **पचमढ़ी**

प्रतिलिपि :–

1) छावनी परिषद कार्यालय सूचना पटल।
2) बस स्टेण्ड सूचना पटल।
3) जवाहर चौक सूचना पटल।
4) गॉधी चौक सूचना पटल।
5) बस स्टेण्ड सूचना पटल।
6) साडा कार्यालय सूचना पटल।
7) न्य शापिंग काम्पलेक्स सूचना पटल।
8) श्री अशोक कुमार पाल, प्लम्बर छावनी परिषद पचमढ़ी। :– *कृपया ऐसे व्यक्तियो के नल कनेक्शन विच्छेद करे जो छावनी परिषद द्वारा दिये गये जल कनेक्शन मे सीधे टुल्लू पम्प/मोटर लगाते हुऐ पाये जाते है।*
9) छावनी स्वच्छता निरीक्षक छावनी परिषद पचमढ़ी। :– नगर मे विस्तृत मुनादी हेतु।
10) श्री अभ्यूदय अग्रवाल, छावनी परिषद पचमढ़ी। :– कृपया छावनी परिषद की वेबसाईट पर प्रकाशित करे।